रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 1988/पौष 10, 1910

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 1988/PAUSA 10, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

(संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं

Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1988

आदेश

आ. अ. 120—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट लोक सभा/विधान सभा के लिये उप निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा उपदर्शित रूप में अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा रीति से तथा समय के अन्दर और रीति से दाखिल करने में असफल रहा है;

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन, 1987	38-विले पारले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	प्रशांत सखाराम म्हात्रे 86/2396, कन्नमवार नगर 2, विक्रोली (पूर्व) बम्बई-400083	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया।
2.	वही	वही	श्री भाऊसाहेब मोरे, जनार्दन भवाली कमरा नं. 2, चितलसर मानपदा—एस. बी. रोड, ठाणे-7	वही

[सं. 76/महा. वि. स./38/87 (उप)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 7th December, 1988

ORDERS

O.N. 120.—WhWere the Flection Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the bye-election to the Legislative Assembly as specified in column (2) and held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge any account of his election expenses as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission, after considering the representation made by them if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of the section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative council of a state for a period of 3 years from the date of this order:

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl.No. & name of Constituency	Name & address of Contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	Bye-election to the Maharashtra Legislative Assembly—1987.	38—Vile Parle Assembly Constituency	Sh. Prashant Sakharam Ambre, 86/2396, Kannamwar Nagar, 2, Vikroli (East), Bombay-400 083.	Account not Lodge at all.
2.	Bye-election to the Maharashtra Legislative Assembly-1987.	38—Vile Parle Assembly Constituency	Sh. Bhausaheb More Janardan Gavali chawl, Room No. 2, Chitalsar-Manpada, S.V. Road, Thane-7	Account not Lodge at all.

[No.76/MT—LA/38/87(BYE)]

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1988

आ. आ. 121.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ राज्य-क्षेत्र अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक के परामर्श से, भारत निर्वाचन आयोग, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव, श्री वीरेन्द्र सिंह को उस संघ राज्य-क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से और अगले आदेशों तक, श्री एम. के. बेज़बोरूआ, आई. ए. एस. के स्थान पर, इसके द्वारा नामित करता है।

[सं. 154/अण्ड. निको. द्वीप समूह/88]

New Delhi, the 14th December, 1988

O.N. 121.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), Election Commission of India, in consultation with the Administration of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands hereby nominates Shri Virendra Singh, Chief Secretary to the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands as the Chief Electoral Officer for that Union Territory with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri M. K. Bezboruah, I.A.S.

[No. 154/AN1/88]

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1988

आ. आ. 122.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग पांडिचेरी सरकार परामर्श से श्री ए. चन्द्रशेखर मेनन के स्थान पर श्री पी. ए. सुब्रामणियन, सचिव (न्याय और श्रम) को उनके कार्य भार सम्भालने की तारीख से अगले आदेशों तक पांडिचेरी संघ राज्य-क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है।

[सं. 154/पांडिचेरी/88]

आदेश से,

के. सी. साहा, सचिव

New Delhi, the 17th December, 1988

O.N. 122.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Pondicherry hereby nominates Shri P. A. Subramanian, Secretary (Law and Labour), Pondicherry, as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Pondicherry with effect from the date he takes over charge and until further orders vice A. Chandrasekhara Menon.

[No. 154/POND/88]

By Order,

K. C. SAHA, Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1988

आदेश

आ. अ. 123.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि श्री ठाकुर बचन सिंह, पिपलिया बाजार, ब्यावर (राजस्थान) जो जून, 1988 में लोकसभा के लिए राजस्थान के 21-पाली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से हुए उप-निर्वाचन में अभ्यर्थी थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण या स्पष्टीकरण दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में श्री ठाकुर बचन सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. 76/राज.-वि. स./88(उप)]

New Delhi, the 7th December, 1988

ORDERS

O.N. 123.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Thakur Bachan Singh, Pipaliya Bazar, (Rajasthan), a contesting candidate at the bye-election to the House of the People from 21-Pali Parliamentary constituency of Rajasthan held in June, 1988 has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the said Shri Thakur Bachan Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of 3 years from the date of this Order.

[No. 76/RJ-HP/88 (Bye)]

आ. अ. 124.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि श्री राम अवतार सिंह, नेहरू रोड, भिवानी, जो जून/जुलाई, 1987 में हरियाणा के 8-भिवानी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से हुए लोकसभा के उप-निर्वाचन में अभ्यर्थी थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण या स्पष्टीकरण दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में श्री राम अवतार सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/हरि.-वि. स./87/उप (3)]

आदेश से,

घनश्याम खोहर, अवर सचिव

O.N. 124.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Avtar Singh, Nehru Road, Bhiwani, a contesting candidate at the bye-election to the House of the People from 8-Bhiwani Parliamentary constituency of Haryana held in June/July, 1987 has failed to lodge the account of his election expenses within time and in manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after even after due notice or the Election Commission, after considering the representation made by him, if any is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Avtar Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State/Union Territory for a period of 3 years from the date of this Order.

[No. 76/HN-HP/87 (Bye)(3)]

By Order,

GHANSHYAM KHOHAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988